रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31012020-215832
CG-DL-E-31012020-215832

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 430] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 30, 2020/माघ 10, 1941
No. 430] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 30, 2020/MAGHA 10, 1941

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2020

का.आ. 464(अ).— केन्द्रीय सरकार, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 227 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिवाला और शोधन अक्षमता (वित्तीय सेवा प्रदाताओं की दिवाला और परिसमापन कार्रवाइयां और न्यायनिर्णयन प्राधिकरण को आवेदन) नियम, 2019 के नियम 10 के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, उक्त नियमों के नियम 5 के खंड (क) के अधीन नियुक्त प्रशासक द्वारा अधिसूचना संख्या का.आ. 4139(अ) तारीख 18 नवंबर, 2019 के तहत यथा-निर्दिष्ट ऐसे वित्तीय सेवा प्रदाताओं के अधिग्रहण अथवा स्वामित्व वाली तृतीय पक्षकार आस्तियों से संबंधित विधि को निम्नानुसार अधिसूचित करती है :

1. तृतीय पक्षकारों के लिए प्राप्य राशियां:-

जहां कोई वित्तीय सेवा प्रदाता दिवाला प्रारंभ होने की तारीख को संवीक्षाकरण अथवा उधार देने की व्यवस्था जैसे संव्यवहार के बारे में तीसरे पक्षकार की ओर से सेवा अथवा संग्रहण अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए संविदात्मक के अधीन बाध्य है, प्रशासक निम्नांकित कार्य करेगा :-

(क) ऐसे संव्यवहारों और संबंधित अभिकरण संविदा का कथन तैयार करेगा;

(ख) सेवा अथवा संग्रहण अभिकर्ता के रूप में वित्तीय सेवा प्रदाता की बाध्यताओं का निर्वहन करना जारी रखेगा;

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे संव्यवहारों के बारे में संग्रहित प्राप्य राशियों को एक पृथक खाते में जमा और अनुरक्षित किया जाए और ऐसे वित्तीय सेवा प्रदाता की निधियों अथवा अन्य आस्तियों के साथ विलय न किया जाए;

(घ) मद (ग) में निर्दिष्ट खाते के संचालन का निरीक्षण करेगा;

(ङ) ऐसी संविदा के नियम और शर्तों के अनुसार मद (ग) में निर्दिष्ट खाते में संग्रहित और जमा की गई ऐसी प्राप्य राशियोंका अंतरण करेगा:

स्पष्टीकरण.- इस मद के प्रयोजन के लिए वित्तीय सेवा प्रदाता द्वारा सेवा अथवा संग्रहण अभिकर्ता के रूप में प्राप्त किसी फीस को मद (ग) में निर्दिष्ट खाते में अंतरित नहीं किया जाएगा और प्रशासक द्वारा इसे ऐसे वित्तीय सेवा प्रदाता की आस्तियों के भाग के रूप में माना जाएगा।

2. ***तृतीय पक्षकार की आस्तियां***

जहां वित्तीय सेवा प्रदाता दिवाला प्रारंभ होने की तारीख को अपने ग्राहकों अथवा प्रतिपक्षों अथवा संविदा के अधीन अपने ग्राहकों के प्रतिपक्षों के स्वामित्व वाली आस्तियों के अधिग्रहण अथवा स्वामित्व में और ऐसी संविदा के निबंधन और शर्तों के अनुसार ऐसी आस्तियों को वापस करने अथवा अंतरित करने की बाध्यता के अधीन आता है तो प्रशासक निम्नांकित कार्य करेगा–

(क) ऐसी आस्तियों और संबंधित संविदाओं का कथन तैयार करेगा;

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि इन आस्तियों का रख-रखाव एक अलग और विशिष्ट रीति से हो जिसे उन्हें संविदावार पहचानने में सक्षम हो सके और इन्हें वित्तीय सेवा प्रदाता की आस्तियों के साथ विलय नहीं किया जाएगा;

(ग) ऐसी संविदा के निबंधनों और शर्तों के अनुसार इसे प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति को इन आस्तियों को वापस करेगा अथवा अंतरित करेगा:

परंतु जब इन आस्तियों को प्रशासक द्वारा संविदा के निबंधनों के उल्लंघन के कारण वापस नहीं किया जाएगा तो वित्तीय सेवा प्रदाता अपने बकाया की वसूली के लिए पात्र हो जाता है, इन आस्तियों को अपने प्रतिधारित कर सकता है अथवा उन्हें बेच सकता है।

[फा. सं. 30/01/2020-इंसोल्वेंसी]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2020

S.O. 464(E).— In exercise of the powers conferred by section 227 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016) and in pursuance of rule 10 of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency and Liquidation Proceedings of Financial Service Providers and Application to Adjudicating Authority) Rules, 2019, the Central Government, in consultation with the Reserve Bank of India, hereby notifies the manner of dealing with the third party assets in custody or possession of such financial service providers, as referred to in the notification vide No. S.O. 4139(E), dated 18th November, 2019, by the Administrator appointed under clause (a) of rule 5 of the said rules, as under:

1. Receivables for Third Parties:-

Where a financial service provider is contractually obliged, as on the insolvency commencement date, to act as a servicing or collection agent on behalf of third parties in respect of a transaction such as securitisation or lending arrangement, the Administrator shall-

(a) prepare a statement of such transactions and respective agency contract;

(b) continue to discharge the obligations of the financial service provider as a servicing or collection agent;

(c) ensure that the receivables, in respect of such transactions, collected are deposited and maintained in a separate account and are not merged with the funds or other assets of such financial service provider;

(d) oversee the operation of the account referred to in item (c);

(e) transfer such receivables collected and deposited in the account referred to in item (c) in accordance with the terms and conditions of such contract:

Explanation.- For the purpose of this item, any fee received by the financial service provider as a servicing or collection agent shall not be transferred to the account referred to in item (c) and it shall be dealt with by the Administrator as forming part of the assets of such financial service provider.

2. Assets of Third Parties

Where the financial service provider has, as on the insolvency commencement date, in its custody or possession assets owned by its customers or counterparties or by counterparties of its customers under a contract, and is under an obligation to return or transfer such assets in accordance with the terms and conditions of such contract, the Administrator shall-

(a) prepare a statement of such assets and the respective contracts;

(b) ensure that such assets are maintained in a separate and distinct manner, capable of identifying them contract-wise, and are not merged with those of financial service provider;

(c) return or transfer such assets to the person entitled to receive it in accordance with the terms and conditions of such contract:

Provided that when such assets shall not be returned by the Administrator, due to breach of the terms of the contract, the financial service provider has become entitled to retain such assets for itself or dispose of the same to realise its dues.

[F. No. 30/01/2020-Insolvency]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.01.31 12:25:32 +05'30'